न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

R-1327-III/2011

रामकृष्ण वल्द ज्वाला प्रसाद ब्राम्हण,

साकिन खरगापुर तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

1. लखनलाल वल्द ज्वाला प्रसाद ब्राम्हण

2. जगदीश प्रसाद वल्द ज्वाला प्रसाद ब्राम्हण

3. श्रीमति बेनीबाई वेवा ज्वाला प्रसाद ब्राम्हण

सभी साकिन खरगापुर तह. बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

------उत्तरवादीगण/अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 एम.पी.एल.आर.सी. विरूद्ध आदेश दिनांक 22.07.11 पारित द्वारा श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म.प्र. अंदर पुन.क्रं.क्रं. 323अ/6 वर्ष 2009-10 पक्षकार रामकृष्ण बनाम लखनलाल + अन्य जिसमें पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण निरस्त कर दी गई है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता रामकृष्ण उत्तरवादी क्रं. 1 व 2 लखन व जगदीश तीनों सगे भाई है तथा उत्तरवादी क्रं. 3 श्रीमति बेनीबाई उनकी मां है । इनके पिता ज्वाला प्रसाद ब्राम्हण थे । ज्वाला प्रसाद ब्राम्हण अन्य सम्पत्ति के अलावा मौजा खरगापुर ह.नं. 24 तह. बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के खं.नं. 1151,1152,1153, 1094/2,1090 कुल रकवा 1.384 हे. भूमि के भूमि स्वामी मालिक काबिज थे ।

पुनरीक्षणकर्ता रामकृष्ण कोई नौकरी नहीं करता था वह खेती पर ही निर्भर था व उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तथा उत्तरवादी लखनलाल की पत्नि शासकीय सेवा में कार्यरत थी व जगदीश शिक्षक के पद पर शास0 सेवा में कार्यरत थे इस तथ्य को देखते हुये ज्वाला प्रसाद ने उत्तरवादीगण की सहमति से नामांतरण पंजी क्रं. 40 आदेश दिनांक 29.12.83 के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को मालिक बनाने के उद्देश्य से उसका नाम दर्ज करा दिया था तभी से उक्त भूमि पर पुनरीक्षणकर्ता मालिक व काबिज चला आ रहा है ।

उक्त भूमि के संबंध में शासन द्वारा एस.डी.ओ. के न्यायालय में डायवर्सन का प्रकरण पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध चला था जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध 1,50,000/- के लगभग डायवर्सन राशि जमा करने का आदेश पारित किया गया

R 1327-II/11 [illegible]

24.7.15, आवेदक की ओर से श्री मनमोहन श्रीवास्तव अभि., तथा अनावेदकगण की ओर से अभि. श्री एल. पी. धाकड़ उप०.

आवेदक द्वारा वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। प्रकरण आदेशार्थ।

अध्यक्ष.

5.10.15. आवेदक द्वारा अना. क्र. 1 की मृत्यु की बाद उसके वारिसों की जानकारी समय लेने के बाद भी प्रस्तुत नहीं की. जबकि आवेदक को इसके लिए निरंतर समय दिया गया है। पेशी दिनांक 19.6.15 को भी उसे जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय दिया गया था किन्तु वारिसों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण में आगे की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः इसी स्तर पर प्रकरण समाप्त किया जाता है। अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को वापस किया जावे।

[illegible]

अध्यक्ष